इस्लाम ने सभी की ज़िम्मेदारी तय की है

मुहम्मद अजहर मदनी

अब्दुल्ला बिन उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमायाः ''सावधान! तुम सब ज़िम्मेदार हो और अपने अधीनस्थों के बारे में तुमसे पूछताछ की जाएगी। इसलिए लोगों का अमीर ज़िम्मेदार है और लोगों के बारे में उससे पूछताछ की जाएगी। घर का मुखिया अपने परिवार के लिए ज़िम्मेदार है और उसके बारे में उससे पूछताछ की जाएगी। और औरत अपने पति के घर और उसके बच्चों की संरक्षक है। उससे उनके बारे में पूछताछ की जाएगी। और एक आदमी का गुलाम अपने मालिक की संपत्ति का संरक्षक है और उससे उसके बारे में पूछताछ की जाएगी। सावधान! तुममें से हर एक संरक्षक है और उससे उसके अधीनस्थों के बारे में पूछताछ की जाएगी।" (सहीह बुख़ारी और सहीह मुस्लिम)

यह हदीस एक व्यक्ति के पदों और ज़िम्मेदारियों की जवाबदेही का वर्णन करती है। चाहे वह घर का मुखिया हो, या अपने गुलाम का संरक्षक, चाहे वह महिला हो या पुरुष, सभी को अपनी ज़िम्मेदारियों के बारे में अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कुछ रिवायतों में, एक शासक जो लापरवाह और अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में गैरज़िम्मेदार को चेतावनी दी गई है।

माक़िल बिन यासर (रज़ि०) ने बयान कि उन्होंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को यह कहते सुनाः ''यदि कोई शासक मुसलमानों के एक समूह पर शासन करता है और उन्हें धोखा देते हुए मर जाता है, तो अल्लाह उस पर जन्नत हराम कर देगा।" (सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम)

समाज में प्रत्येक मनुष्य के अधिकार हैं, चाहे वह पुरुष हो या महिला, दास हो या स्वामी, पति हो या पत्नी, या भाई हो या बहन। इस्लाम ने सभी के अधिकारों और जिम्मेदारियों को तय किया है। इन अधिकारों और जिम्मेदारियों को पूरा करके ही मुस्लिम समाज में अमन-चैन कायम रह सकता है। स्वामी का दायित्व है कि वह अपने अधीनस्थों के अधिकारों को पूरा करे, और अधीनस्थों का भी दायित्व है कि वे अपने स्वामी द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को पूरा करें। पुरुष को स्त्री का संरक्षक बनाया गया है, और यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह अपनी पत्नी और बच्चों के अधिकारों का ध्यान रखे। पुरुष और स्त्री के बीच अलगाव का सबसे बड़ा कारण यह है कि कभी स्त्री असंयम दिखाती है और कभी पुरुष असंयम। जब पानी सर से ऊंचा हो जाता है, तो तलाक और अदालती कार्रवाई की नौबत आ जाती है। इसीलिए इस्लाम ने दोनों की सीमाएँ और अधिकार परिभाषित किए हैं। यदि इन अधिकारों और सीमाओं का पालन किया जाए, और दोनों अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएँ, तो जीवन का मार्ग आसमान रहेगा, अन्यथा जीवन में अस्थिरता और अशांति बनी रहेगी। यही बात संस्थाओं और अन्य व्यक्तियों पर भी लागू होती है। हदीस के पहले भाग में, इमाम को अपने अधीनस्थों के साथ भलाई करने, उनके

शेष पृष्ठ १७ पर

मासिक

इसलाहे समाज

सितंबर 2025 वर्ष 36 अंक 9

रबीउल अव्वल 1447 हिजरी

संरक्षक

असग़र अ़ली 'सलफ़ी'

संपादक

मुहम्मद ताहिर

- वार्षिक राशि 100 रुपये
- प्रति कापी 10 रुपये

सम्पर्क

मासिक इसलाहे समाज (हिन्दी)
4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद
दिल्ली-110006
फोन : 23273407 फ़ैक्स: 23246613
RNI No. 53452/90

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद ताहिर ने मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ओर से एम.एस. प्रिन्टर्स, A-145 गली न० 8 चौहान बांगर, सीलमपुर, दिल्ली-53 से छपवा कर अहले हदीस मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6 से प्रकाशित किया।

सम्पादक: मुहम्मद ताहिर

लेखक के विचारों से संस्था का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

इस अंक में

1.	इस्लाम ने सभी की ज़िम्मेदारी ...	02
2.	सऊदी अरब की मानवीय सेवाएँ	04
3.	२१वाँ आल इंडिया मुसाबक़ा ...	05
4.	हराम वस्तुएँ	07
5.	हज़रत मुहम्मद स०अ०व० के जीवन..	09
6.	इस्लामी शिक्षाओं में इन्साफ की महत्ता	12
7.	वरासत का अधिकार	15
8.	शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा	18
9.	प्रेस रिलीज़	23
10.	प्रेस रिलीज़	24
11.	मानवता का सम्मान और विश्व-धर्म-४	25
12.	हज़रत मुहम्मद स०अ०व० ने फरमाया	27
13.	अहले हदीस मंज़िल (विज्ञापन)	28

ईमेल:-
Jaridahtarjuman@gmail.com
Jamiatahlehadeeshind@hotmail.com
अब 'इसलाहे समाज' इन्टरनेट पर भी उपलब्ध है
वेब साइट:- **www.ahlehadees.org**

सम्पादकीय

सऊदी अरब की मानवीय सेवाएँ

मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी
अध्यक्ष, मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द

सऊदी अरब पूरी दुनिया में इस्लामी कार्य, ओलमा और प्रचारकों के लिये रहमत साबित होती रही है। मिस्र, इराक़, सीरिया और अफरीक़ा समेत दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचारकों पर जो मुसीबत आई है और वहाँ जिन हालात से उनको और उनकी जमाअत को गुज़रना पड़ा तो ''जो अमाँ मिली तो कहां मिली'' सऊदी अरब के अलावा पनाह व सुकून कहीं नहीं मिली। वहाँ पर किताबों का अनुवाद हो, संकलन हो, या इहयाउत तुरासिल इस्लामी हो या उसे दुनिया के बेहतरीन गेटअप और शक्ल में प्रकाशित करने का आयोजन, आख़िर कौन सा काम है जो यहाँ नहीं हुआ है? मखतूतात से लेकर मौजूदात तक की छपाई का काम और वह भी रिसर्च व अध्ययन के साथ जो कुछ साधारण एवं प्रसारित हुआ एक दुनिया ने उस से फायदा उठाया। आधुनिक शिक्षा के साथ दीनी इस्लामी शिक्षा का बेहतरीन संगम यहाँ नज़र आया। मुस्लिम उम्मत ज्ञान, रिसर्च और दीन को विकसित करने वाले सऊदी अरब से माली सहयोग हासिल करके पैसे को पानी की तरह बहा कर भी शिक्षा तो दूर की बात है सलेवस भी नहीं दे सकी बल्कि हक़ तो यह है कि वह इस्लाम और मुसलमानों के लिये किसी काम के लिये नहीं निकले। आलिम व फक़ीह न शक्ल के एतबार से न सूरत के एतबार से और न चरित्र व ईमान के एतबार से। वह ज्ञानात्मक स्तर पर अत्यंत मोहताज लोग हैं जो नादान दोस्त और जाहिल भाई की भूमिका निभा रहे हैं जिन की वजह से इस्लाम और मुसलमान बदनाम हो रहे हैं और यह सिलसिला अभी तक जारी है। रह गया धार्मिक शिक्षा का मसला तो इस्लाम जगत के ओलमा के कामों का इल्मी शोधीय, शैक्षणिक, प्रचार, और नैतिक एतबार से हिसाब से समीक्षा की जाये तो सऊदी अरब की सेवाएँ और प्रयास के सामने पूरा इस्लाम जगत का क़द छोटा नज़र आयेगा। सऊदी अरब के महान कारनामे सुनहरे अक्षरों से लिखने योग्य हैं।

हक़ीक़त यह है कि सऊदी अरब ने हर जगह के विपदा ग्रस्त और हालात के मारे मुसलमानों और इस्लाम जगत के लिये आस्मान से लेकर जमीन तक सहायता और मदद के जो पुल और जाल बिछाये हैं और उन की तरफ ज़रूरी सामान से लदे जहाज़ों को दहाने खोले दिये हैं वह अपनी मिसाल आप हैं इसी तरह अन्य कौमों और कबीलों के लिये भी पूरी दुनिया में अपनी घरेलू पैदावार के हिसाब से खाने पीने के पदार्थ सपलाई करने का जो सिलसिला जारी कर रखा है उसने सारे विश्व रिकार्ड तोड़ दिये हैं।

अमरीका से लेकर यूरोप के बहुत से देशों में उसके पैसे से बनाये गये दीनी, ईमानी और शैक्षिक केन्द्र स्थापित हैं। दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां के मुस्लिम क्षात्रों ने वहाँ की सहायता पर शिक्षा हासिल न की हो, सऊदी अरब ने अपने अवाम को समृद्ध और ज्ञान एवं प्रशिक्षण से माला माल रखने में कोई क़सर करूर नहीं छोड़ी, देश वासियों के लिये अनगिनत अवसर प्रदान किये, देश स्तर पर भी और विदेश स्तर पर भी, उसके प्रतिनिधि मंडल विदेशों और अमरीकी देशों में गुटों की शक्ल में जाते रहे और असल अरब जहां कहीं भी और जिन मुल्कों में भी गये उन देशों में अपने आस पास और वातावरण में अपने सकारात्मक चिन्ह और छाप छोड़े। अर्थात हर मैदान में सऊदी अरब ने हज़ार रूकावटों के बावजूद अपने चरित्र धर्म और राजनीति के माध्यम से स्पष्ट कीर्तिमान स्थापित किया।

❑❑❑

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस के ज़ेरे एहतमाम

21वाँ आल इंडिया मुसाबक़ा

हिफ्ज़ व तजवीद और तफसीर

कुरआन करीम

दिनांक 4-5 अक्टूबर 2025

शनिवार-रविवार

स्थानः डी-254, अहले हदीस कम्लेक्स ओखला, नई दिल्ली-25

रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 28 सितंबर 2025

एक उम्मीदवार केवल एक ही श्रेणी में भाग ले सकता है फार्म मर्कज़ी जमीअत की वेब साइट www.ahlehadees.org से डाउन लोड किया जा सकता है।

अधिकृत जानकारी के लिये सम्पर्क करें।

मुसाबका हिफ्ज व तजवीद व तफसीरे कुरआन कमेटी

011-23273407, 9213172981, 8744033926

Email.

Jamiatahlehadeeshind@hotmail.com

हराम वस्तुएँ

सईदुर्रहमान सनाबिली

हर वह मशरूब (पीने की चीज़) जो हानिकारक, गंदी, ज़हरीली और जान लेने वाली हो वह शरीअत की निगाह में हराम है। अगर यह सभी खराबियाँ किसी पीने की चीज़ में जमा हो जाएं या पाई जाएं तो शरीअत के एतबार से इनका इस्तेमाल दुरूस्त नहीं होगा। हराम पीने की चीज़ें में हम जिन वस्तुओं को शामिल कर सकते हैं उनमें से कुछ यह हैंः

शराब, ज़हर, चर्स, हुक़्क़ा या इस जैसा दूसरा स्मोक, खून, इंसान का पेशाब, वह जानवर जिनके गोश्त नहीं खाए जाते उनके पेशाब और हर तरह के अपवित्र ड्रिंक्स या हर वह अपवित्र और हानिकारक ड्रिंक्स जिसमें अपवित्र चीज़ की मिलावट हो और जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं जिनसे अल्लाह तआला ने हमको रोका है।

शराब तमाम बुराइयों की जड़ है

इस्लाम धर्म ने शराब को हराम क़रा दिया है क्योंकि शराब पीना सभ्य क़ौमों की पहचान नहीं है। शराब पीने से अक़्ल काम करना बंद कर देती है, वक़्ती तौर के लिए इंसान पागल जैसी हरकतें करने लगता है और अल्लाह ने शराब को हानिकारक और अपवित्र क़रार दिया है। अल्लाह ने शराब की ख़राबी बयान करते हुए फरमायाः

“ऐ ईमान वालो! बात यही है कि शराब और जुआ और थान और फ़ाल निकालने के पांसे के तीर यह सब गंदी बातें हैं, शैतानी काम हैं इनसे बिल्कुल अलग रहो ताकि तुम सफल रहो। शैतान तो यूं चाहता है कि शराब और जुए के जरिया तुम्हारे आपस में दुश्मनी और हसद पैदा कर दे और अल्लाह तआला की याद और नमाज़ से तुमको दूर रखे इसलिए अब भी बाज़ आ जाओ।” (सूरह अल माइदा-९०-९१)

अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहो अन्हुमा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

“हर नशीली चीज़ शराब है और हर नशीली चीज़ हराम है और जिस शख़्स ने दुनिया में शराब पी और इस हालत में मर गया कि वह शख़्स शराब का रसिया हो गया और उसने तौबा नहीं की तो वह आख़िरत में इसे नहीं पिएगा।” (सहीह बुखारी ५५७५, सहीह मुस्लिम २००३)

उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहो अन्हो कहते हैं कि ऐ लोगो! मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना हैः

जो शख़्स अल्लाह पर और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता हो वह ऐसे दस्तरखान पर ना बैठे जहां शराब पी जा रही हो।” (सुनन तिर्मिज़ी २८०३, सुनन नेसाई ४०१, मुस्नद अहमद १४६५१, शैख अल्बानी रहिमाहुल्लाह ने हिदायतुर रूवात ४४०३ में इसे सहीह क़रार दिया है)

शराब पीने वाले की सज़ाः

अगर कोई शराब पीता है तो इसके हक़ में शरीअत ने यह सज़ा तय की है कि उसे जन्नत में तीनतुल ख़बाल पिलाया जाएगा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहो अन्हुमा बयान करते हैं:

''एक शख़्स जैशान से आया, जैशान यमन में है। उसने नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से अपने क्षेत्र के ड्रिंक्स के बारे में पूछा जिसको मकई से बनाया जाता है उसका नाम मिज़्र था, नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने पूछा: क्या वह नशा पैदा करता है? उसने कहा हां, ऐ अल्लाह के रसूल! आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: हर नशा पैदा करने वाली चीज़ हराम है। निःसंदेह अल्लाह का अपने ऊपर यह संकल्प है कि जो शख़्स नशा पैदा करेन वाली चीज़ पिएगा वह उसको तीनतुल खबाल पिलायेगा। सहाबा ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! तीनतुल ख़बाल क्या है? आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: ''जहन्नमियों का पसीना'' या फरमाया ''जहन्नमियों का निचोड़।'' (सहीह मुस्लिम २००२)

शराब की अवैधता और इसकी संगीनी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि शराब से संबंधित निम्न प्रकार के लोगों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने लानत की है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं:

'' अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने शराब की वजह से दस आदमियों पर लानत भेजी: इसके निचोड़ने वाले पर, इसके पीने वाले पर, इसके ले जाने वाले पर, इसके मंगवाने पर और जिसके लिए ले जाई जाये, उसके पिलाने वाले पर और उसके बेचने वाले पर, उसकी कीमत खाने वाले पर, उसके खरीदने वाले पर और जिसके लिए खरीदी गई हो उस पर। (सुनन तिर्मिज़ी: १२९५, सुनन इब्ने माजा ३३८१, शैख अल्बानी रहिमाहुल्लाह ने इस हदीस को हसन सहीह क़रार दिया है)

इसी तरह शराब पीने वाला इंसान जन्नत में शराब से वंचित रहेगा मगर यह कि वह तौबा कर ले। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं।

''जिसने दुनिया में शराब पी फिर इससे तोबा नहीं की तो आख़िरत में वह इससे वंचित रहेगा। (सहीह बुखारी ५५७५, सहीह मुस्लिम २००३)

शराब पीने वाले की दो हालतें हो सकती हैं:

१. शराब पीने वाले को शराब की अवैधता का ज्ञान हो लेकिन वह शराब की अवैधता से इनकार करता हो और शराब को जायज़ समझ रहा हो तो ऐसा शख़्स शराब को हलाल समझने की बुनियाद पर काफ़िर क़रार पाएगा। अगर यह शख़्स इसी हालत में मर जाए तो वह जन्नत में नहीं जाएगा। इस जैसी बात हाफिज़ इब्ने हजर अस्क़लानी रहिमाहुल्लाह ने फतहुल बारी १०/३२-३३ में कही है और बताया है कि ऐसा शख़्स जन्नत में दाख़िल ही नहीं होगा तो शराब से लाभान्वित होने का सवाल ही नहीं पैदा होता।

२. कोई मुसलमान शराब की अवैधता पर विश्वास रखता हो लेकिन शैतान के बहकावे में आकर पीता हो तो उसके बारे में मतभेद है कि क्या वह जन्नत में शराब की नेमत से लाभ उठा पाएगा या नहीं?

कुछ ओलमा ने कहा है कि

इस हदीस में उसे एक तरह से चेतावनी दी गई है कि वह जन्नत में दाखिल नहीं होगा जैसा की इमाम ख़त्ताबी रहिमाहुल्लाह ने मआलिमुस्सुनन २६५/४ में लिखा है।

इस कथन की बुनियाद दो बातों पर हैः

अ. जो जन्नत में दाखिल होगा तो उसे जन्नत में उसकी इच्छा के अनुसार नेमतें मिलेंगी और उनमें जन्नत की शराब भी होगी। कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः

“जो हमारी आयतों पर ईमान लाए और थे भी वह (आज्ञाकारी) मुसलमान। तुम और तुम्हारी बीवियां राजी खुशी जन्नत में चले जाओ उनके चारों तरफ से सोने की रिकाबियां और सोने के गिलासों का दौर चलाया जाएगा उनके मन जिस चीज़ की इच्छा करेंगे और जिस चीज़ से उनकी आंखें लज्ज़त पायें, सब वहां होगा और तुम उसमें हमेशा रहोगे।” (सूरह जुखरूफ ६९-७१)

ब. जन्नत में दाखिल होने के बावजूद जन्नत में जाने वाले शख़्स को जन्नत के शराब से वंचित करना एक तरह से सज़ा है और जन्नत में सज़ा नहीं होगी। इसलिए कि जन्नत में जाने का मतलब अल्लाह की तरफ से मआफ़ी और उसकी सहमति मानी जाएगी।

इस बुनियाद पर हम यह कह सकते हैं कि इस चेतावनी और सज़ा का अर्थ यही है कि शराब का रसिया और श्रारब पीने वाला जन्नत में नहीं जाएगा लेकिन यहां एक बात याद रखने योग्य है कि इस सज़ा को जन्नत में न जाने का अर्थ लेने से तात्पर्य होगा कि वह पहली जमाअत के साथ जन्नत में नहीं जाएगा। इसका यह हर्गिज़ मतलब नहीं होगा कि वह हमेशा के लिए जन्नत में नहीं जाएगा क्योंकि अहले सुन्नत की यह आस्था है कि अगर कोई शख़्स एकेश्वरवाद की आस्था की हालत में मर जाए तो वह हर हाल में जन्नत में जाएगा लेकिन ऐसा शख़्स अपने गुनाह की सज़ा काट कर जन्नत में जाएगा।

इस कथन का आधार गोया कि शराब का रसिया शख़्स जब मर जाता है तो वह वक़्ती तौर पर जन्नत की शराब से वंचित रहेगा और वह हमेशा के लिए इससे वंचित नहीं रहेगा।

इस सिलसिले में दूसरा कथन यह है कि यह हदीस अपने जाहिर पर है कि जो कोई शराबी शख़्स मरेगा और वह जन्नत में भी जाएगा तो वह जन्नत में हमेशा के लिए शराब से वंचित रहेगा।

इस दृष्टिकोण का समर्थन अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहो अन्हुमा कि इस हदीस से भी होता है कि जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “मेरी उम्मत का कोई शख़्स इस हालत में मरता है कि वह शराब पीता रहा हो तो अल्लाह तआला जन्नत में उसके लिए शराब को हराम कर देगा और अगर मेरी उम्मत का कोई शख़्स इस हालत में मरता है कि वह सोना पहनता रहा हो तो अल्लाह तआला जन्नत में उस पर सोना हराम कर देगा।” (मुस्नद अहमद ११/५४०, हाफिज़ इब्ने हजर अस्क़लानी रहिमाहुल्लाह ने इसकी सनद को फतहुल बारी १०/३२ में और शैख अल्बानी रहिमाहुल्लाह ने सहीहुत तरग़ीब वत्तरहीब २/४६८ में हसन क़रार दिया है।

❑❑❑

हज़रत मुहम्मद स०अ०व० के जीवन में घरेलू और समाजी मामलों के कुछ महत्वपूर्ण पहलू

बसीरत फातिमा

हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के जीवन का मैदान बहुत व्यापक है जीवन का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जिसमें हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने करनी और कथनी की मिसाल न पेश की हो।

यह बात यकीनी है कि हज़रत मुहम्मद के जीवन का हर पहलू आदर्श रहा है। मानव जीवन के विभिन्न विभागों से संबन्धित उसके नमूनों को हर दौर में पेश किया जाता रहा है यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि हज़रत मुहम्मद के जीवन में बड़ी व्यापकता है। हर मसले में इससे मार्ग दर्शन मिलता है इनमें से हर एक में हमारे लिये बेहतरीन नमूना है। इसकी पैरवी करने में निसन्देह हमारे लिये भलाई और कामयाबी है। यही वजह है कि कुरआन ने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की सीरत (जैवन शैली) को बेहतरीन आदर्श करार दिया है।

इस हकीकत की रौशनी में यह ज़रूरी था कि आपके बेहतरीन आदर्श को उजागर किया जाये और आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की जिन्दगी के हालात का पूरी गहराई के साथ अध्ययन किया जाये। अल्लाह का शुक्र है कि यह सिलसिला शुरू ही से जारी है और इन्शाअल्लहा भविष्य में भी जारी रहेगा।

मानव जीवन के विभिन्न भागों में समाजी एवं घरेलू जिन्दगी की बड़ी अहमियत है विशेषरूप से इस कारण कि जीवन के इस भाग का संबन्ध अधिकतर बन्दों के अधिकार से है। इस बारे में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के जीवन से जो मार्गदर्शन मिलता है वह अत्यंत कीमती और कारआमद है और मौजूदा बिगड़ी हुयी सूरतेहाल के सुधार के लिये प्रभावी भी, निम्न बातों से यह बात स्पष्ट होगी।

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की रसूल, कुरआन के व्याख्याकार, अध्यापक, काजी, और खानदान के प्रमुख होने की हैसियत से विभिन्न जिम्मेदारियां थीं उसे हम सब भली भांति जानते हैं। इन सब जिम्मेदारियों के बावजूद हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का रोज़ाना का मामूल यह था कि आप अपनी बीवियों में से हर एक के घर जाते और उनकी आवश्यकताओं के बारे में मालूम करते, सबके खाने पीने रहने सहने और नान नफका में इन्साफ से काम लेते। घर के काम काज में उनका हाथ बटाते। अगर वक्त पर कोई काम न होता तो नाराज़ नहीं होते बल्कि नर्मी का बर्ताव करते।

एक बार एक सहाबी ने पूछा कि आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम घर में होते तो क्या करते थे। जवाब

में हज़रत आइशा रजिअल्लाहो अन्हा ने फरमाया वह अपने घर में काम में लगे रहते और जब नमाज़ का वक्त आ जाता तो नमाज़ के लिये चले जाते। कहने का मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अल्लाह और उसके बन्दों के अधिकार का खयाल रखते थे। इसके अलावा कुछ हदीसों में यह स्पष्टता भी मिलती है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अपने कपड़ों की देख भाल स्वंय करते, बकरी का दूध दोहते, अपने कपड़ों में पेवन्द लगाते, अपने जूतों की मरम्मत करते, डोल में टांके लगाते, खुद ही बाज़ार से सौदा लाते और अगर कोई सेवक होता तो घर के काम काज में उसकी मदद करते इसी के साथ साथ नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अपने परिवार वालों के लिये आख़िरत की चिंता भी रखते थे। आप उन्हें दीन की बातों से आगाह करते और आखिरत की जिन्दगी में कामयाब होने के लिये निरन्तर ध्यान देते। यह सिलसिला नबी (सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम) बनाये जाने से लेकर आखिरी ज़िन्दगी तक बाकी रहा।

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा रजिअल्लाहो तआला अन्हा को संबोधित करते हुये इन शब्दों में उन्हें बताया कि ऐ मुहम्मद की बेटी फातिमा तुम भी खुद को जहन्नम की आग से बचाओ मैं क्यामत के दिन तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता। (सहीह मुस्लिम) लेकिन रिश्तेदारी के अधिकारों को अच्छी तरह से निभाऊंगा यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह इस आयत की व्यवहारिक व्याख्या थी जिसमें अल्लाह ने ईमान वालों को हिदायत दी है। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है "अपने को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ जिसके ईंधन इंसान और पतथर हैं"। (सूरे तहरीम-४)

रोजमर्रा की ज़िन्दगी में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का मामूल यह था कि हर काम अपने निर्धारित समय पर अंजाम देते और समाज के तमाम लोगों का ख्याल रखते थे। अदालत का वक्त होता तो फैसला करते, वाज नसीहत (उपदेश) देने का मौका हो तो इसमें व्यस्त हो जाते, नमाज़ का वक़्त हो जाता तो इमामत करते, आम लोगों से मिलते तो उनकी खबर गीरी करते, पड़ोसियों से मिल कर उनकी ज़रूरतें मालूम करते, यतीमों और बेवाओं की ज़रूरत पूरी करते, बीमारों का हाल चाल मालूम करते और कोई जनाज़ा होता तो उसमें शिर्क करते। हज़रत अनस बिन मालिक रजिअल्लाहो तआला अन्हो का बयान है कि ईष्दूत हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम बीमारों की इयादत करते, जनाज़े के साथ जाते, कोई गुलाम सेवक दावत देता तो उसकी दावत को कुबूल करते। (शमाइले तिर्मिज़ी)

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम सफर में होते तो सामूहिक कामों में सबके साथ शरीक होते। हज़रत जाबिर रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम काफ़िले के साथ सफ़र करते तो उसके पीछे चलते, कमजोरों को अपनी सवारी पर बिठाते और उनके हक़ में दुआ करते (सुनन अबू दाऊद ३५४/१) इस आदर्श व्यवहार से कितने व्यापक अन्दाज़ में सफ़र के अमीर की जिम्मेदारी के कर्तव्य

स्पष्ट होते हैं और इससे यह परिणाम निकलता है कि खिदमत करवाने वाला न बनें बल्कि खिदमत करने वाला बनें और सफर के साथियों की ज़रूरियात, रोज़मर्रा की जिन्दगी में गुलामों और खादिमों,(जो समाज के कमजोर वर्ग में शुमार किये जाते हैं) के साथ बिना भेद भाव अच्छे बर्ताव पर बल देते थे। एक दफा हज़रत अबू मसऊद रजिअल्लाहो तआला अन्हो अपने गुलाम को मार रहे थे कि उन्होंने पीछे से यह आवाज़ सुनी जान लो जान लो! उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे ऐ अबू मसऊद! जितना काबू तुम्हें इस गुलाम पर है इससे ज्यादा अल्लाह को तुम पर है। हज़रत अबू मसऊद बयान करते हैं कि इस नसीहत का मुझ पर इतना असर हुआ कि मैंने फिर किसी गुलाम को नहीं मारा। (जामे तिर्मिज़ी भाग-२ पृष्ठ १६)

हकीकत यह है कि आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की जिन्दगी अल्लाह तआला के निर्देशों का प्रतव थी। सारांश यह है कि आप की जिन्दगी में घर वालों की देखभाल रिश्ता नाता जोड़ना, ज़रूरतमन्दों की ज़रूरत पूरी करना, दुखी लोगों की मदद, गरीबों और कमज़ोरों की मदद, और मेहमानों की आवभगत के अध्याय में बड़े कीमती पाठ लिमते हैं। अल्लाह तआला हम सब को कुरआन की शिक्षाओं पर पूरी तरह से अमल करने और नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की जीवन शैली की पैरवी करने की क्षमता प्रदान करे। आमीन

❑❑❑

पाठक गण ध्यान दें

१-जल्द से जल्द बकाया राशि भेज दें। २-अगर आपको हर महीने की 5 तारीख को पत्रिका न मिले तो इसके बारे में कार्यालय को सुचित करें। न मिलने की सूरत में दूसरी कापी भेजी जायेगी, लेकिन शिकायत करने से पहले अपने नजदीकी डाकखाने पर जानकारी हासिल कर लें। ३-नये खरीदारों से अनुरोध है कि अपने पते में फोन नम्बर अथवा मोबाइल नम्बर और पिन कोड भी लिखें। ४-पुराने खरीदारों से अपील की जाती है कि यदि उनका कोई फोन नम्बर या मोबाइल नम्बर हो तो पोस्ट कार्ड पर या फोन के जरिये अपने खरीदारी नम्बर का हवाला देकर अवश्य भेज दें ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे सम्पर्क किय जा सके। 5- मनी आर्डर या हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से पत्रिका के सदस्य बनने वालों को यह सूचित किया जाता है कि रसीद कटवाने के बाद दूसरे महीने ही में पत्रिका भेजी जायेगी। ६- किसी भी तरह की शिकायत के लिये इस नम्बर पर संपर्क करें। ७. नए और पुराने सदस्यों से अुनरोध है कि नक़द पैसा कोरियर और जनरल डाक से न भेजें। इसलाहे समाज के बारे में किसी भी तरह की शिकायत के लिये 3 बजे से 5 बजे तक फून करें। 011-23273407

इस्लाम और इंसाफ

डा० मुहम्मद तैयब शम्स

इस्लाम दीने फितरत है फितरत चाहे इन्सान से संबन्धित हो या संसार से संबन्धित। इस में मध्यमार्ग का चिन्ह अत्यंत स्पष्ट है इन्साफ अल्लाह की खूबियों में से एक प्रमुख खूबी है जिसका इज़हार जिन्दगी और मौत के तमाम प्रदर्शनों में दिखाई देता है इस संसार की सभी सृष्टि और प्रकृति के अन्य प्रतीक इन्साफ के कारण मौजूद और बाकी हैं। इन्साफ संसार की सभी सृष्टि में श्रेष्ठतम है अतः उसे इन्सान को समझने और अपनाने की सबसे ज्यादा ज़रूरत है। सभी नबियों और पैगम्बरों की दावत में भी इन्साफ का पहलू स्पष्ट रहा है। किसी कौम से दुश्मनी के आधार पर इन्साफ का पलड़ा कमज़ोर न हो इन्साफ काइम और बाकी रहे। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है ''और किसी कौम की दुश्मनी से अन्याय न करने लगो (बल्कि हर हाल में) न्याय ही किया करो। (क्योंकि) न्याय परहेजगारी के बहुत ही करीब है और अल्लाह से डरते रहो'' (सूरे माइदा-८)

कानून का इन्साफ

इन्साफ का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कानून का इन्साफ है। इस्लामी कानून ने समाज में हर प्रकार के अत्याचार और अधिकार हनन का निवारण करता है इस्लाम किसी व्यक्ति संगठन, संस्था या रियासत को इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वह किसी भी शख्स का अधिकार हनन करे या नाहक माल हड़प ले या किसी की अस्मिता को आहत करे, इस्लामी कानून हर व्यक्ति जमाअत के जान व माल और सर्वमान्य बुनियादें, शिक्षित, अशिक्षित, साधारण, असाधारण अपराध करने वाले और गवाही देने वाला तक तमाम मामलों में बराबरी एवं इन्साफ का दामन थामे रखने पर सख्त बल दिया है। पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः ''अगर (मेरी बेटी) फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका हाथ काट देता'' (नेसई, अहमद)

आर्थिक न्याय एवं समता

आर्थिक न्याय एवं समता इस्लाम का एक महत्वपूर्ण विभाग है। इस्लामी कानून ने आर्थिक समता एवं न्याय को ध्यान में रखते हुये मालदारों पर गरीबों के लिये जकात को अनिवार्य करार दिया है। तिजारत हलाल है जब कि सूद, चोरी, डकैती हराम है। कम तौलने वालों के लिये तबाही और बर्बादी है। माल व दौलत को गलत तरीके से जमा करने से मना किया गया है। इस्लाम आर्थिक अत्याचार एवं जब्र के हर पहलू को मिटाना चाहता है और आर्थिक पहलू से एक न्यायायिक व्यवस्था चाहता है जिससे समाज हर प्रकार की लूट खिसोट अत्याचार और आर्थिक असमानताओं की तबाहकरियों से सुरक्षित हो सके।

पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की स्पष्ट शिक्षा है जिसने धोका दिया उसका मुझसे कोई संबन्ध नहीं है। (मुस्लिम)

स्वयं के साथ इन्साफ

इन्साफ का तकाज़ा अपनी जाति से बहरहाल संबद्ध है जो शख्स अपने साथ इन्साफ नहीं कर सकता वह किसी के मामले में इन्साफ नहीं कर सकता हर शख्स अल्लाह का नायब है और अल्लाह की एक प्रमुख खूबी इन्साफ है। न्याय की स्थापना से लापरवाही न की जाये चाहे स्वयं का कितना ही बड़ा नुक़सान क्यों न हो। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है।

(इसलिये) ऐ मुसलमानों खुदा लगती इन्साफ से गवाही दिया करो अगर्चे (वह गवाही) तुम्हारे लिये या तुम्हारे मां बाप के लिये या तुम्हारे करीबियों के लिये नुकसान पहुंचाने वाली हो (तो भी तुम सच्ची गवाही से न रूको) अगर कोई शख्स मालदार हो या फकीर, अल्लाह उसका मुतवल्ली है इसलिये तुम न्याय करने में अपने नफ्स की ख्वाहिश के पीछे न चलो और अगर जबान दबाकर कर (दो रूखी बातें) कहोगे (जिससे किसी हकदार का नुकसान हो) या (बिलकुल ही गवाही से) मुंह फेरोगे तो अल्लाह तुम्हारे कामों से आगाह है। (सूरे निसा आयत-१३५)

समाजी जीवन में न्याय

इन्साफ वास्तव में कामयाब समाज की जान है। घर, रिश्ते नातेदार और समाज में हर एक को उसका निर्धारित स्थान एवं सम्मान दिलाने का एक ही तरीका न्याय ही है और इसी न्याय से मां बाप, करीबी, रिश्तेदार मोहल्लावासी अध्यापक, गरीब अमीर सबके अधिकार इसी न्याय के तकाजे से पूरे किये जा सकते हैं और इस समाजी न्याय का नमूना यह है कि हर एक को उसका वैध अधिकार दिये जायें। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है (इस तालीम का सारांश यह है कि) अल्लाह तुम को इन्साफ करने का हुम देता है और (हर एक के साथ) एहसान करे का संबन्धियों को (ताकत के मुताबिक) देने का और बेहयाई (अर्थात जिना और उसकी तरफ उभारने वाली चीज़ों) और नाजायज़ हरकतों से और अत्याचार से मना करते हैं। (सूरे नहल ९०)

औलाद के बीच समता और इन्साफ औलाद के बीच समता और इन्साफ भी ज़रूरी है वर्ना उनके अन्दर हसद और वैमनष्यता के जजबात पैदा होंगे। अधिकतर घरेलू झगड़े इसलिये पैदा होते हैं कि हमारे घरों के मुखिया इन्साफ नहीं करते, बेटों को बेटियों पर वरियता देना औलाद में किसी को एक से ज्यादा एखतियारात दे देना, जायदाद बराबर तकसीम न करना, या किसी को वंचित कर देना, न्याय के खिलाफ काम है। घरों में पाये जाने वाली यह कशीदगी इन्साफ के द्वारा दूर की जा सकती है। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपनी सभी औलाद के साथ एक जैसा व्यवहार करने और घरों में एक जैसा प्यार का माहौल पैदा करने की शिक्षा दी है।

हज़रत नौमान बिन बशीर रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि उनके पिता जी उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास लेकर आये और कहा कि मैंने अपना

गुलाम अपने बेटे को दे दिया है। अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या तुमने अपनी सभी औलाद को इसी तरह गुलमा दिया है? उन्होंने कहा नहीं, इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर इस गुलाम को वापस कर लो। दूसरी रिवायत के शब्बों में कि मेरे पिता जी मुझे हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास लेकर आये और कहा कि आप मेरे हिबा (तोहफा) में गवाह बन जाइये आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कया तुम ने अपनी सभी औलाद के साथ ऐसा किया है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया ''अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के बीच इन्साफ करो अतः मेरे पिता जी ने हिबा वापस कर लिया। (बुखारी, मुस्लिम)

यतीम, बेवा, सेवक और भीख मागने वाले समाज के कमजोर तरीन लोग होते हैं जिन्हें लोग कमज़ोर समझ कर उनके अधिकार को पामाल करते हैं। अल्लाह ने इन लोगों के साथ इन्साफ का हुक्म दिया। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है ''पस यतीम (अनाथ) पर तू सख्ती न कर और मांगने वालों को डांट डपट न कर (सूरे जुहा ९-१०) हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपने मर्जुल मौत में फरमाते थे नमाज़ को लाज़िम पकड़ो और गुलामों का हक़ अदा करो। (बैहक़ी शोअबुल ईमान)

जानवरों के साथ न्याय

इस्लाम की आर्थिक व्यवस्था केवल इन्सान ही नहीं बल्कि तमाम जानवरों पक्षियों पेड़ पौधों और निर्जीव का ख्याल रखने पर जोर देती है। जानवरों को दुख देना और उन्हें मारने से सख्ती से रोका गया है। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः ''जिस चीज़ में जान हो उस पर निशानाबाज़ी न करो'' (मुस्लिम, १९५७-५८)

समता और न्याय से ही एक स्वस्थ्य समाज का निर्माण हो सकता है और इसी में इन्सान का जीवन निहित है एक समृद्ध विकसित राष्ट्र के लिये समता और न्याय की खूबियों से सुसज्जित होना आवश्यक है। इसी समता और न्याय की स्थापना से तमाम इन्सान सुख चैन, राहत और हर्षपूर्ण जीवन बसर कर सकेंगे।

(प्रेस रिलीज़)

रबीउल अव्वल १४४७ का चाँद नज़र आ गया

दिल्ली, २४ अगस्त २०२५

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ''मर्कज़ी अहले हदीस रूयते हिलाल कमेटी दिल्ली'' से जारी अखबारी बयान के अनुसार दिनांक २९ सफ़र १४४७ हिजरी अर्थात २४ अगस्त २०२५ इतवार को मग्रिब की नमाज़ के बाद अहले हदीस कम्पलैक्स ओखला नई दिल्ली में ''मर्कज़ी अहले हदीस रूयते हिलाल कमेटी दिल्ली'' की एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई और ज़ुलहिज्जा के चांद को देखने के सिलसिले में यथापूर्व देश के अधिकांश राज्यों की जमाअती इकाइयों के पदधारियों और समुदायिक संगठनों से फून के माध यम से संपर्क किये गये जिसमें विभिन्न राज्यों से चांद को देखने की प्रमाणित खबर मिली। इस लिये यह फैसला किया गया कि दिनाँक २५ अगस्त २०२५ सोमवार के दिन रबीउल अव्वल की पहली तारीख होगी।

वरासत का अधिकार

डा० मुक़्तदा हसन अज़हरी

इस्लाम में महिलाओं के उत्तराधिकार पर प्रकाश डालने से पूर्व एक दृष्टि अन्य जातियों के वरासत की व्यवस्था पर डालिये ताकि इस्लामी कानून के सुधार व लाभदायक पहलू उजागर हो सकें।

उत्तराधिकार के विषय में प्राचीन रूमानियों के यहां यह नियम था कि मृतक की सन्तान या सम्बन्धी में से किसी को इसके खानदान का संरक्षक नियुक्त किया जाता या जिसके अधिकार में मृतक की सारी सम्पत्ति होती थी तथा वह प्रत्येक प्रकार का व्यक्तिगत व सामूहिक कर्तव्य निभाता था। फिर इस्लाम से कुछ पूर्व यह लोग भी पूर्वी जातियों के समान सगे निकट सम्बन्धियों को उत्तराधिकारी बनाने लगे। उनके यहां विभिन्न स्थिति में महिलाओं को वरासत का माल दिया जाता था। लेकिन पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी को उसकी सम्पत्ति से कुछ भी नहीं दिया जाता था।

यूनानी लोग भी वरासत के सम्बन्ध में रूमानियों के समान थे। मृतक जिस व्यक्ति को खानदान का संरक्षक तथा धन व सम्पति का अधिकार दे जाता था वह उसकी प्रत्येक वस्तु का मालिक माना जाता था। उसे महिलाओं का विवहा कराने या उसे विवाह से रोकने का अधिकार प्राप्त था। उसके कार्यों में किसी को हस्तक्षेप करने की अनुमति न थी।

मिस्र में मृतक की सन्तान में सबसे योग्य व्यक्ति को कृषि तथा चल सम्पत्ति का स्वामी बनाया जाता था तथा इसी को परिवार के मुखिया का पद प्राप्त होता था, किन्तु वरासत में इसे कोई विशेषता न थी, पुरूष व महिला वरासत में समान रूप के अधिकारी माने जाते थे। मृतक की पत्नी भी वरासत में हिस्सा पाती थी।

यहूदी धर्म में वरासत का अधिकार केवल पुत्र या पौत्र को होता था। यदि इन दोनों में से कोई न हो तो फिर पुत्री या उसकी सन्तान को पैतृक सम्पत्ति का स्वामी माना जाता था। मृतक यदि निःसन्तान होता तो उसके सगे निकट सम्बन्धी उसकी पैतृक सम्पत्ति के मालिक होते।

अरब द्वीप के निवासी महिलाओं को उत्तराधिकारी नहीं मानते थें उनके यहां पैतृक सम्पति का अधिकारी मृतक का बड़ा भाई या चाचा का लड़का या उसका किशोर बालक होता था। प्रायः यह लोग पैतृक सम्पत्ति केवल पुत्रों को देते थे।

आधुनिक युग में (कम्युनिस्ट तथा सोशलिस्ट) धर्मावलम्बी उत्तराधिकार के बिल्कुल सहमत नहीं हैं। उनके यहाँ सरकार मृतक सम्पत्ति पर कब्ज़ा कर लेती है। परन्तु इसकी अपेक्षा इस्लाम ने विभिन्न स्थिति में महिलाओं के लिये पैतृक सम्पत्ति में हिस्से निश्चित कर दिये हैं तथा उनको विस्तार पूर्वक इस्लामी फिकः (नियम) की पुस्तक में लिखा है। इसम के इस व्यवस्था में जो कल्याण तथा रहस्य छिपा है उसको अब गैर मुस्लिम भी स्वीकार करते हैं।

इस्लाम के वरासत की व्यवस्था को प्रायः सभी लोग स्वीकार करते

हैं। परन्तु ''पुरूष का महिला की अपेक्षा दुगना हिस्सा है'' के द्वारा कुरआन ने जिस कानून की घोषणा की है इसको अधिकतर लोग अब तक समझ नहीं सके हैं पुरूष तथा स्त्री के हिस्सा में अन्तर से क्या परिणाम निकलेगा यह बात उन्हें ज्ञात नहीं है, इसलिये ऐसे लोग इस्लाम के इस कानून का विरोध करते हैं।

इस सन्दर्भ में यह बात स्मरणीय है कि इस्लाम की दृष्टि में यदि पुरूष तथा महिला सम्बन्ध में समान हों तो वरासत के लिये दोनों के अधिाकार में कोई अन्तर नहीं होगा। अतः मृतक के पैतृक सम्पत्ति से बेटी, बेटे के समान, मां बाप के समान, पत्नी पति के समान तथा बहिन भाई के समान वरासत का अधिकार रखती है।

ध्यान से देखने पर यह ज्ञात होता है कि इस्लाम ने पुरूष तथा महिला के मध्य जो अन्तर रखा है उसका उद्देश्य किसी महिला पर अत्याचार नहीं अपितु अधिकार तथा दायित्व के बीच सन्तुलन की रक्षा करना है। चूंकि इस्लामी व्यवस्था के अनुसार पुरूष पर यह जिम्मेदारी है कि वह पत्नी का महर अदा करे, जीवन यापन का खर्च वहन करे तथा पत्नी व बच्चों की पूर्ण देख-रेख करे। परन्तु इसकी अपेक्षा महिला इस प्रकार की समस्त जिम्मेदारियों से अलग है। इस्लाम ने इसी अन्तर के आधार पर मीरास में भी अन्तर रखा है। यदि न्याय की दृष्टि से देखा जाये तो यह अन्तर कृपा का स्रोत तथा महिला के पक्ष में असाधारण नरमी है, क्योंकि इस्लाम ने एक ओर तो महिला को हर प्रकार की आर्थिक जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है तथा दूसरी ओर वरासत में इसे पुरूष की अपेक्षा आधा हिस्सा भी दिया है। महिलाओं के पक्ष में इस्लामी वरासत व्यवस्था कितना अच्छा है? इसे समझने के लिये निम्नलिखित उदाहरण पर ध्यान दीजिये।

यदि एक व्यक्ति मर जाये तथा अपने पीछे एक बेटा और बेटी छोड़ जाये तो ऐसी स्थिति मेंउसकी सम्पत्ति तीन भागों में बंटेगी। दो भाग का मालिक बेटा होगा तथा एक भाग बेटी को मिलेगा। अब देखना यह है कि जो भाग बेटी को मिला है इसमें कमी के स्थान पर बराबर बढ़ोत्तरी होगी, क्योंकि बेटी को विवाह के समय महर की रकम मिलेगी, इसी प्रकार वह व्यवसाय के द्वारा भी अपने माल में बढ़ोत्तरी कर सकती है। इसे चूंकि किसी भी स्थान पर खर्च करना आवश्यक नहीं है, इसलिये इसका माल किसी प्रकार से भी कम नहीं होगा। इसके विपरीत बेटे को जो माल मिला है वह बराबर कम होता रहेगा, क्योंकि इसी माल से वह महर की रक़म अदा करेगा, रहने की व्यवस्था करेगा तथा पत्नी व बच्चोंके लिये भोजन तथा वस्त्र की व्यवस्था उपलध करेगा। ऐसी स्थिति में केवल एक पक्ष (महिला) पर दृष्टि रखकर इस्लामी व्यवस्था पर आपत्ति करें, तो न्याय न होगा।

यह मान लेना पूर्णतः निराधार हे कि इस्लाम ने सभी स्थित एवं दशा में महिलाको पुरूष की अपेक्षा आधा हिस्सा दिया है। इस्लामी कानून की पुसतकों में जो विवरण लिखे गये हैं, उनसे मालूम होता है कि कुछ परिस्थिति में पुरूष तथा महिला का भाग समान है, कुछ में कम तथा कुछ में उसे अधिक है। इस अन्तर

का कारण शरीअत (धर्म) का वह नियम है, जिसे वरासत के विषय में वर्णन किया गया है।

जिन परिस्थितियों में महिला का हिस्सा पुरूष के बराबर या उससे अधिक होता है उनका सक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है।

१. माँ जब बाप बेटों के साथ वाारिस हो ऐसी स्थिति में माँ को छठवाँ भाग मिलेगा तथा उतना ही पिता को भी, दोनों में किसी प्रकार की वरीयता न होगी।

२. यदि माँ जाई बहन हो तो छठवाँ भाग पायेगी तथा कई एक हों तो एक तिहाई और यही स्थिति माँ जाई भाई का है, परन्तु भाई, बहन दोनों हों तो तिहाई सम्पत्ति उनके मध य समान रूप से बंटेगा और इस दशा में भाई और बहन का भाग समान होगा।

३. यदि मृतक के केवल एक सगी बहन हो तो उसे आधी सम्पत्ति मिलेगी और यदि उसके स्थान पर सगा भाई हो तो उसे वह भाग मिलेगा जो भगीददारों से शेष बचे। यह भाग कुछ परिस्थितियों में आधे से कम होगा, जैसे जब मृतक के उत्तराधिकारियें में पति, मां और सगा भाई हो इस दशा में उसे केवल छठवाँ भाग मिलेगा क्योंकि यही शेष बचा है। स्पष्ट है कि छठवां भाग आधे से कम है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बहन का हिस्सा भाई के हिस्सा से अधिक है।

❑❑❑

शेष पृष्ठ २ का

लाभ और हानि का ध्यान रखने के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया है। इसी प्रकार, अधीनस्थों पर भी अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने की ज़िम्मेदारी है। इमामत और एमारत का पद वास्तव में केवल एक ज़िम्मेदारी ही नहीं, बल्कि अल्लाह सर्वशक्तिमान की ओर से एक परीक्षा भी है। जो इमाम और शासक अपनी ज़िम्मेदारियों को अपने हक़ के अनुसार पूरा करता है, उसे अल्लाह सवाब और पुरिस्कृत करेगा, और जो अपनी ज़िम्मेदारियों को नज़रअंदाज़ करता है, उसे आख़रित में अल्लाह के सामने जवाबदेह होना होगा। कुछ लोग पद और ओहदे की चाहत में रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग यह नही समझते कि पद और ओहदे एक ज़िम्मेदारी हैं और अल्लाह की ओर से एक परीक्षा भी हैं। यही कारण है कि पद चाहने वालों को पद देने से रोका गया है। इस रोक का उद्देश्य यह है कि पद का अधिकार उसी का है जो अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करता है। एक रिवायत में, अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहाः अल्लाह की क़सम! हम किसी ऐसे व्यक्ति को अमीर नहीं बनाते जो एमारत चाहता हो या जो इसके लिए लालची हो, और एक रिवायत में है उन्होंने कहा, "हम किसी ऐसे व्यक्ति को अमीर नहीं बनाते जो पद पाने का इच्छुक हो।" (सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम) उपरोक्त हदीसों से स्पष्ट है कि ज़िम्मेदारी वाले पदों पर बैठे लोगों के अधिकारों के साथ-साथ एक बड़ी ज़िम्मेदारी भी होती है। इस्लाम ने सभी की ज़िम्मेदारी और जवाबदेही तय की है, इसलिए सभी को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। हम अल्लाह तआला से दुआ करते हैं कि वह हम सभी को अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने की तौफ़ीक़ प्रदान करे।

❑❑❑

शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा

प्रो०डॉ० मुहम्मद ज़ियाउर्रहमान आज़मी

कुरआन कहता हैः

ऐसा क्यों न हुआ कि उनके हर गरोह में से एक टोली निकलती ताकि वे धर्म में समझ पैदा करते और वे अपने लोगों को होशियार करते, जबकि वे उनकी ओर पलटते। इस तरह शायद वे बुरे कामों से बच जाते। (सूरा-९, अत-तौबा, आयत-१२२)

कुरआन की यह एक आयत उन सब आरोपों को झुठलाने के लिए काफी है जो इस्लाम पर ज्ञान और विज्ञान के बारे में लगाए जाते हैं। अगर इस्लाम ज्ञान और विज्ञान के विरूद्ध होता तो कुरआन इस तरह पुकार कर न कहता कि ऐ लोगो! अपने घरों से शिक्षा प्राप्त करने के लिए निकलो, ताकि संसार को सत्य-असत्य, धर्म-अधर्म और अच्छे बुरे कर्मों से सचेत कर सको।

आज सारा संसार जुल्म की आग में झुलस रहा है, जबकि इनसान धरती पर रहते हुए आकाश का स्वप्न देखने लगा है। मगर जिस सुख चैन के लिए उसने अपनी पूंजी खर्च कर डाली है वह उसको अब तक प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए कि वह अपने सत्य मार्ग से मुंह मोड़कर किसी और रास्ते पर चल पड़ा है। उसकी शिक्षा का उद्देश्य था कि संसार की सही रहनुमाई और मार्गदर्शन करे,परन्तु आज वह एटम बम बनाकर उसको ग़लत जगह इस्तेमाल कर रहा है और अपनी ताक़त को इनसानों की भलाई के बजाए उसे नष्ट-विनष्ट करने में लगा हुआ है। परन्तु वह शिक्षा जो इनसान को इनसान बनाने के लिए प्राप्त की जाए इस्लाम उसके विरूद्ध कभी नहीं रहा, और न रहेगा।

आपको आश्चर्य होगा कि कुरआन अपने नबी को सम्बोधित करके कहता है।

अतः जान रखो कि अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के योग्य नहीं। (सूरा-४७, मुहम्मद, आयत-१९)

इसमें इस बात की रतफ इशारा है कि ईश्वर की प्रार्थना और इबादत उस समय तक सही नहीं होगी जब जक पुजारी को यह न मालूम हो जाए कि उपासना का योग्य तो केवल ईश्वर ही है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि उपासक का चाहिए कि उपासना करने से पहले अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त कर ले। कहीं ऐसा न हो कि अज्ञान में वह किसी और की उपासना कर बैठे।

इसमें उन लोगों के लिए चेतावनी है जो धर्म को केवल अंधविश्वासों का अमल समझते हैं और उसकी वास्तविकता से अच्छी तरह परिचित होने की चेष्टा नहीं करते। हो सकता है कि उनका यह दृष्टिकोण दूसरे ध र्मों के बारे में सत्य हो, परन्तु इस्लाम इसके बिल्कुल विपरीत है।

इस बात को कुछ और स्पष्ट रूप से समझने के लिए मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की कुछ पवित्र शिक्षाओं का सारांश यहां बयान किया जा रहा है ताकि इस्लाम में शिक्षा के महत्व को भली-भांति समझा जा सके।

क़ैस बिन क़सीर कहते हैं कि एक बार मैं अबू दरदा के साथ

दमिश्क़ की मस्जिद में बैठा था कि एक आदमी आया और कहने लगा, ऐ अबू दरदा! मैं मदीना से आपके पास इसलिए आया हूं कि मुझे ख़बर मिली है कि आप मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करते हैं।''

अबू दरदा ने फ़रमाया मैंने अल्लाहके रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप फ़रमाते थे।

''जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के लिए निकलता है वह अल्लाह के रास्ते में है, यहां तक कि वापस आ जाए।'' (तिर्मिज़ी २६४७)

अब्दुल्लाहबिन अब्बास रज़ियल्लाहो तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया।

''जिसके साथ अल्लाह भलाई करना चाहता है उसको धर्म में सूझबूझ प्रदान कर देता है।''

अबू दरदा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का उपदेश है कि

''शिक्षित व्यक्ति की विशेषता उपासक पर उसी प्रकार है जिस प्रकार चौदहवीं के चाँद की विशेषता सारे सितारों पर। और शिक्षित लोग नबियों के वारिस हैं और नबी दीनार तथा दिरहम नहीं छोड़कर जाते, बल्कि वे शिक्षा और ज्ञान छोड़ते हैं, इसलिए जिसने शिक्षा ग्रहण की उसने बहुत बड़ा भाग्य प्राप्त किया।'' (अबू दाऊद ३६४१ तथा इब्ने माजा २२३)

अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाहके रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया

''ज्ञान की बात मोमिन की खोई हुई सम्पति है। इसलिए वह उसको जहां भी पाए उसका वही हक़दार है।'' (हदीस तिर्मिज़ी)

ये तो कुछ वे हदीसें हुईं जो शिक्षा प्राप्त करने पर उभारती हैं। अब आइए कुछ ऐसी हदीसों का भी अध्ययन करें जो ज्ञान पिछाने और उसको दूसरों तक न पहुंचाने पर कड़ी आलोचना करती हैं। इस प्रकार हमको मालूम होता है कि इस्लाम शिक्षा प्राप्त करने पर किस तरह उभारता है। दूसरे शब्दों में इस्लाम कितना वैज्ञानिक धर्म है।

ज्ञान छिपाने वालों की कड़ी आलोचना

शिक्षा की इसी विशेषता के कारण कुरआन उन लोगों की कड़ी आलोचना करता है जो ज्ञान रखते हुए भी उसको दूसरों से छिपाते हैं और उसको समाज में फैलाने की कोशिश नहीं करते ताकि और लोग उससे लाभ उठा सकें, इससे यह बात भली -भाँति स्पष्ट हो जाती है कि इस्लाम में शिक्षा का कितना महत्व है।

आइए, कुरआन की कुछ ऐसी आयतों का भी अध्ययन करें जो ज्ञान छिपाने वालों की कड़ी आलोचना करती हैं।

उससे बढ़कर अत्याचारी कौन होगा जिसके पास ईश्वर की ओरसे गवाही हो और वह उसे छिपाए। (सूरा-२, अल-बक़रा, आयत-१४०)

गवाही का अर्थ इस्लामी धर्म-गुरू यह लेते हैं कि यहूदियों और ईसाइयों की किताबों में मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के आने की ख़बर दी गई थी, परन्तु उन्होनें इसको छिपा दिया और नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का दावा किया तो उन्होनें उसको ठुकरा दिया। हिन्दू धर्म के ग्रन्थ वेद और पुराणों में भी मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के आने की सूचना दी गई हैं इसके कुछ नमूने यहां पेश करते हैं।

''एक-दूसरे देश में एक आचार्य अपने मित्रों के साथ आएंगे उनका

नाम महामद होगा, वे रेगिस्तानी क्षेत्र में आएंगे।'' (भविष्य पुराण अ२३४ सू५/८)

इस श्लोक और सूत्र में स्पष्ट रूप से नाम और स्थान के संकेत हैं। आने वाला पुरूष की अन्य निशानियां इस प्रकार बयान हुई हैं।

''पैदाइशी तौर पर उनका ख़तना किया हुआ होगा, उनके जटा नहीं होगी, वे दाढ़ी रखे हुए होंगे, गोश्त खाएंगे, अपना संदेश स्पष्ट शब्दों में ज़ोरदार तरीक़े से प्रसारित करेंगे, अपने संदेश के मानने वालों को मूसलाई नाम से पुकारेंगे।

इस श्लोक को ध्यानपूर्वक देखिए। ख़तने का रिवाज हिन्दुओं में नहीं था। जटा यहां का धार्मिक निशान था। आने वाले महान पुरूष अर्थात मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के अन्दर ये सभी बातें पाई जाती हैं। फिर इस संदेश के मानने वालों के लिए मूसलाई का नाम है। यह शब्द मुस्लिम और मुसलमान की ओर संकेत करता है।

अथर्ववेद अध्याय २० में निम्नलिखित श्लोक देख सकते हैं-

''हे भक्तो! इसको ध्यान से सुनो, प्रशंसा किया गया, प्रशंसा किया जाने वाला वह महामहे मुहम्मद का अर्थ है, जिसकी प्रशंसा की गई हो। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की पैदाइश के समय मक्का की आबादी साठ हज़ार थी।

कुरआन मजीद नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को जगत के लिए रहमत के नाम से याद करता है। ऋगवेद में भी है।

''रहमत का नाम पाने वाला, प्रशंसा किया हुआ दस हज़ार साथियों के साथ आएगा।'' (मंत्र ५/२७/1)

इसी तरह वेद में महामहे और महामद के नाम से भी मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के आगमन का उल्लेख है। यह अर्थ अपने स्थान पर सही है मगर आप इसको और भी विस्तृत कीजिए और उसमें हर उस गवाही को शामिल कर लीजिए जो अल्लाह ने आपको सौंपी है, चाहे वह शिक्षा हो या किसी विशेष वस्तु का ज्ञान जो मानव-समाजके लिए लाभदायक हो। कुरआन में है-

सत्य को असत्य से गड-मड न करो और जानते-बूझते सत्य को न छिपाओ। (सूरा-२, अल-बक़रा, आयत-४)

रसूल पर पहुंचा देने के अलावा और कोई ज़िम्दारी नहीं, और अल्लाह सब जानता है जो कुछ तुम खुले करते हो और जो छिपाते हो। (सूरा-५, अल-माइदा, आयत-९९)

याद करो जब अलाह ने उन लोगों से, जिन्हें किताब दी गई थी, यह पक्का वादा लिया कि तुम इस किताब को लोगों के सामने भली-भांति स्पष्ट करोगे और छिपाओ गे नहीं तो उन्होंने उसे पीठ पीछे डाल दिया और थोड़े मूल्य पर उसका सौदा किया तो क्या ही बुरा सौदा है जो ये करते हें। (सूरो-३, आले इमरान, आयत-१८७)

इन आयतों से यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि पिछली जातियों ने अल्लाह की ओर से दी गई किताब को लोगों से छिपाए रखा और उसको भली-भांति उन तक नहीं पहुंचाया और यह एक प्रकार का बहुत बड़ा अत्याचार है, क्योंकि यह किताब ज्ञान का भंडार थी उसको छिपाने वाला बहुत बड़ा अत्याचारी और धर्म विरोधी व्यक्ति है। कुरआन में है:

निस्सन्देह जो लोग हमारी उतारी हुई खुली-खुली निशानियों और मार्गदर्शन को छिपाते हैं, जबकि हम उसे लोगों की रहनुमाई के लिए अपनी किताब में खोल कर बयान

कर चुके हैं, वही हैं जिन पर अल्लाह की फटकार पड़ती है और फटकारने वाले जिन्हें फटकारते हैं। (सूरा-२, अल-बक़रा, आयत-१५६)

निस्सन्देह जो लोग उस चीज़ को छिपाते हैं जो अल्लाह ने अपनी किताब में उतारी है, और उसके बदले थोड़ा मूल्य प्राप्त करते हैं, वे अपने पेट में आगके सिवा किसी और चीज़ को नहीं भर रहे हैं और क़ियामत के दिन न तो अल्लाह उनसे बात रकेगा और न उन्हें पाक करेगा। उनके लिए दुखदायिनी यातना है। सूरा-२, अल-बक़रा आयत १७४)

ये वे कुछ आयतें हैं जो ज्ञान छिपाने वालों पर कड़ी आलोचना करती हैं, इनसे भली प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि इस्लाम में शिक्षा का कितना महत्व है। अब आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के कथनों की रौशनी में इस बात को और स्पष्ट कर दें। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया

''जिससे कोई ज्ञान की बात पूछी गई हो और वह उसको जानता हो, मगर उसने उसे छिपा दिया, उसे प्रलय के दिन आग की लगाम लगाई जाएगी।'' (अबू-दाऊद ३६५८, तिरमिज़ी २४४६, इब्ने माजा २६१)

इस हदीस में उन लोगों की कड़ी आलोचना की गई है जो ज्ञान रखते हुए भी उसको लोगों तक नहीं पहुंचाते जिसके कारण वह ज्ञान कुछ लोगों तक ही सीमित रह जाता है। उसका लाभ दूसरों को नहीं हपुंचता, क्योंकि दूसरों तक ज्ञान पहुंचाने में उसकी बढ़ोतरी है और अपने तक रख लेना उसके लिए नुकसान है। यह भी हो सकता है कि ज्ञान जिसे दूसरे तक पहुंचाया गया है, वह उसे अधिक समझ रखने वाला हो और उसके द्वारा अधिक फ़ायदा उठाए जैसा कि एक दूसरी हदीस में आया है।

अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो का कहना है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को यह कहते हुए सुना-

''अल्लाह उस बन्दे को खुश रखे जिसने मेरी बात सुनी, उसे याद रखा और ठीक रूप में लोगों तक पहुंचाया। क्योंकि प्रायः ऐसा होता है कि समझ और विवेक की बात का पहुंचाने वाला सवयं उतना ज़्यादा समझदार नहीं होता और ऐसा भी होता है कि समझ और विवेक की बात का पहुंचाने वाला ऐसे व्यक्ति तक बात पहुंचा देता है जो कि उससे कहीं ज़्यादा विवेकशील होता है।'' (तिर्मिज़ी २६५८ तथा इब्ने माजा २३२)

इस हदीस में जिस बात की ओर इशारा किया गया है वह यह है कि ज्ञान वालों को ज्ञान छिपाना नहीं चाहिए। इसकी वजह से पूरे समाज का नुकसान होता है, क्योंकि ज्ञान ध ारक प्रायः अपने ज्ञान का लाभ नहीं समझता। इसलिए अगर वह दूसरों तक वह ज्ञान पहुंचा देता है तो दूसरे उससे इच्छानुसार लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति में यह सलाहियत नहीं रखी है कि अच्छी बातों को समाज में लागू कर सके।

इसलिए इस हदीस में एक प्रकार से उन लोगों की आलोचना है जो ज्ञान को दूसरों तक नहीं पहुंचाते।

हां, इतनी बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि ज्ञान पहुंचाते हुए उस व्यक्ति को भी अच्छी तरह देख लेना चाहिए, जिसको ज्ञान पहुंचाया जा रहा है कि कहीं वह उस ज्ञान के कारण फ़ितने में न पड़ जाए जैसा

कि एक हदीस में आया है।

अब्दुल्लाह बिन मसऊद से उल्लिखित है कि उन्होंने कहा

''लोगों को हदीस सुनाते समय उनकी समझ-बूझ का ख़्याल रखो। कहीं ऐसा न हो कि तुम उनको ऐसी बातें बता दो जो उनकी समझ से ऊंची हों और उनके कारण कोई फ़ितना पैदा हो जाए।'' (सहीह मुस्लिम)

यद्यपि यह नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है, परन्तु इससे यह बात भली प्रकार स्पष्ट होती है कि हदीस बयान करते समय लोगों की समझ-बूझ का सदैव ख़्याल रखा जाना चाहिए।

यह जो कुछ मैंने बताया है इसका सम्बन्ध इस्लामी शिक्षाओं से है रही वे शिक्षाएं जिनका सम्बन्ध हमारे सामाजिक जीवन से है तो कुरआन ने इस विषय में बड़ी चेतावनी दी है, यहां तक कि उन लोगों को कि जो अपनी अक़्ल को भली भांति प्रयोग नहीं करते, पशुओं के समान बताया है।

उनके पास दिल है परन्तु वे उनसे समझते नहीं, और उनके पास आंखें हैं परन्तु वे उनसे देखते नहीं, और उनके पास कान हैं परन्तु वे उनसे सुनते नहीं। वे तो पशुओं की तरह हैं, बल्कि ऐसे लोग तो उनसे भी अधिक गुमराह हैं। यही वे लोग हैं जो ग़फ़लत में पड़े हुए हैं (सूरा-७, आराफ, आयत-१७९)

इससे बढ़कर उन लोगों की निन्दा और क्या हो सकती है जो अक़्ल रखते हुए भी मानव समाज की भलाई सोचने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसके कारण वे क़ियामत के दिन अपने इस गुनाह को स्वीकार करेंगे और कहेंगे।

यदि हम सुनते होते, या बुद्धि से काम लेते तो हम दहकती आग में पड़ने वालों में न होते। (सूरा-६७, अल मुल्क, आयत-१०)

इसलिए अल्लाह ने मनुष्य को बार बार अपने सामने फैले हुए ब्रहमाण्ड को देखने, विचार करने, तथा उस पर ध्यान देने की चेतावनी दी है ताकि वे इस पृथ्वी को नष्ट करने के बजाय उसको आबाद करें। इसलिए हम पूरे विश्वास के साथ यह कह सकते हैं कि नई साइंस के द्वारा जो तरक्क़ी मनुष्य की भलाई के लिए हुई है इस्लाम उसको स्वीकार करता है, और इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है जो साइंस की उन्नति में रूकावट नहीं डालता बल्कि ज्ञान को असीमित बताता है ताकि और अधिक प्रयत्न किया जाए। परन्तु इसका यह अर्थ भी नहीं कि हम इनसान की हर शिक्षा को आंख बन्द करके ग्रहण कर लेंगे। बल्कि पहले हम उसे इसलाम की कसौटी पर परखेंगे जो उसके विरूद्ध होगी उसको छोड़ देंगे।

अतः हम इस तरह की शिक्षाओं को कदापि स्वीकार नहीं करेंगे।

संक्षेप में यह कि आप कुरआन पर एक नज़र डालकर देखें तो इसमें बहुमूल्य हीरे आपको मिलेंगे, जिसको अगर विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाए तो संसार के सारे काग़ज़ और रोशनाई सामप्त हो जाएगें, फिर भी उनकी तह तक मनुष्य नहीं पहुंच सकता। इसी की ओर कुरआन संकेत करता है।

धरती में जितने वृक्ष हैं, यदि वे कलम हो जाएं और यह समुद्र उसकी स्याही हो जाएं, उसके बाद सात और समुद्र हों तब भी अल्लाह के बोल समाप्त न हो सकेंगे। निश्चय ही अल्लाह प्रभुत्वाशाली और तत्वदर्शी है। (सूरा-३१, लुक़मान, आयत-२७)

❑❑❑

(प्रेस रिलीज़)

पंजाब सहित देश के विभिन्न हिस्सों में आई भयंकर बाढ़ से हुई तबाही पर शोक संवेदना और सहयोग की अपील

दिल्लीः 6 सितम्बर 2025

मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिन्द के अमीर मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफ़ी ने अपने एक प्रेस बयान में पंजाब सहित देश के विभिन्न प्रदेशों तेलंगाना, उत्तराखंड, असम आदि के कई स्थानों पर असामान्य वर्षा के कारण पैदा हुई बाढ़ की भयावह स्थिति और इसके परिणामस्वरूप अनेक लोगों की मौत, हजारों मकानों और फ़सलों की बर्बादी तथा पशुओं के बह जाने पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के परिजनों और प्रभावितों के प्रति सहानुभूति जताई है और कहा है कि विशेष रूप से पंजाब में जहाँ सैकड़ों गाँव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, सड़कें, मकान और खेत डूब गए हैं, मवेशी बह गए हैं, जनजीवन अस्त–व्यस्त हो गया है, अनेक जानें गई हैं और बड़े पैमाने पर आर्थिक तबाही हुई है लोग बड़े पैमाने पर सहायता के मोहताज और भलाई और राहत के काम करने वालों की ओर उम्मीद लगाए बैठे हैं।

सरकारी स्तर पर और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा राहत कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन तबाही इतनी बड़ी है कि ये प्रयास उसके मुकाबले में अपर्याप्त हैं। ऐसे में हर इंसान की ज़िम्मेदारी है कि वह इंसानियत के नाते इस मुसीबत की घड़ी में अपने भाइयों का दुःख बाँटे और अधिक से अधिक प्रभावितों की मदद करने की कोशिश करे।

अमीर महादेय ने अपने बयान में प्रभावित इलाक़ों के लोगों से अपील की है कि इन कठिन परिस्थितियों में धैर्य और संयम का परिचय दें तथा आपसी भाईचारा और सहयोग बनाए रखें। साथ ही देशवासियों से अपील की है कि वे धर्म और जाति से ऊपर उठकर अपने भाइयों की इस कठिन घड़ी में खुलकर मदद करें।

उन्होंने राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा उठाए गए तात्कालिक राहत और बचाव कार्यों की सराहना करते हुए उनसे अपील की है कि राहत कार्य से संबंधित और भी बेहतर से बेहतर इंतज़ाम किए जाएँ।

मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिन्द ने भी इस अवसर पर "अहले हदीस रिलीफ फ़ंड" के माध्यम से अपनी उप शाखाओं और आप सबके सहयोग से राहत और सहायता कार्य का बीड़ा उठाया है। इसलिए आप सब से अपील

शेष पृष्ठ २६ पर

(प्रेस रिलीज़)

आज़ादी हमें बहुत कुर्बानियों के बाद मिली है, इसलिए इसकी क़द्र करना हर नागरिक का फ़र्ज़ है: मौलाना असगर अली सलफ़ी

मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिन्द के अमीर मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफ़ी ने कहा कि आज़ादी हमें बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली है, इसलिए इसकी क़द्र करना हर नागरिक का फ़र्ज़ है। वे 15 अगस्त को अबुल फज़ल, ओखला, नई दिल्ली में स्थित "अल–मअ्हद अल–आली लित्तख़स्सुस फ़िद दिरासत अल–इस्लामिया" में यौमे–आज़ादी समारोह के अवसर पर परचमकुशाई (ध्वजारोहण) के बाद ऑनलाइन ख़िताब कर रहे थे। मर्कज़ी जमीअत के अध्यक्ष मौलाना असग़र अली सलफ़ी ने कहा कि जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने "हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई–भाई" के नारे के साथ मिलजुल कर आज़ादी हासिल की थी, उसी तरह आज भी हमें राष्ट्रीय और मिल्ली जज़्बे से भरकर देश की तरक्क़ी, तामीर और अमन व शांति के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि वतन से मुहब्बत एक फ़ितरी जज़्बा है और ईमान का तक़ाज़ा भी है। उन्होंने लोगों को आगाह किया कि आज़ादी की खुशियों में यह न भूलें कि हमारे बुज़ुर्गों ने किस तरह अपने घर–बार, बच्चे और जानें कुर्बान कीं तथा जेल की सलाखों के पीछे वर्षों गुज़ारे।

मौलाना असगर अली सलफी ने मौलाना शाह मोहम्मद इस्माईल शहीद, सैयद अहमद शहीद, मौलाना विलायत अली, मौलाना इनायत अली, नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान, सैयद नज़ीर हुसैन देहलवी, जनरल बख़्त ख़ान, अशफ़ाकुल्लाह ख़ान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और महात्मा गांधी जैसे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों को याद करने की अपील की। इस मौके पर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिन्द के मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉ. मोहम्मद शीस इदरीस तैमी ने कहा कि आज का दिन मुल्क और मिल्लत की सेवा तथा कुर्बानी के अहद को ताज़ा करने का दिन है।

अल–मअ्हदुल आली के उसताद मौलाना अब्दुल ग़नी मदनी ने कहा कि मुसलमानों की आज़ादी की जिद्दोजहद में दी गई बेशकीमती सेवाओं को नई पीढ़ी तक पहुँचाना ज़रूरी है। नौजवान सर्जन डॉ. असअद असगर ने कहा कि आज़ादी का दिन केवल खुशियाँ मनाने का नहीं बल्कि जिम्मेदारियों को याद करने और देश की तामीर व तरक्क़ी के लिए जागरूकता पैदा करने का दिन है। इस अवसर पर डॉ. अब्दुल वासे तैमी, डॉ. सैयद अब्दुर्रऊफ़ और कई सामाजिक व शैक्षिक हस्तियों ने भी ख़िताब किया।

कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद "जन गण मन" और "सारे जहाँ से अच्छा" गाए गए तथा मिठाइयाँ बाँटी गईं। समारोह में शिक्षकों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों की बड़ी संख्या मौजूद रही।

मानवता का सम्मान और विश्व-धर्म

मौलाना असग़र अली इमाम महदी सलफी (चौथी क़िस्त)

मौलाना असग़र अली इमाम महदी सलफी

❑ इस्लाम में जान, माल, सम्मान और औलाद की सुरक्षा का अधिकारः पवित्र कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः

लोगो! आज कौन सा दिन है? लोग बोले यह हुर्मत (सम्मननीय) दिन है। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा और यह शहर कौन सा है? लोगों ने कहा यह हुर्मत का शहर है आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने पूछा यह महीना कौन सा है? लोगों ने कहा यह हुर्मत का महीना है फिर आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः बस तुम्हारा खून तुम्हारे माल और तुम्हारी इज्ज़त एक दूसरे पर इसी तरह हराम है जैसे इस दिन की हुर्मत, इस शहर और इस महीने की हुर्मत है, इस वाक्य को आप ने कई बार दोहराया और फिर आसमान की तरफ सर उठा कर कहा ऐ अल्लाह! क्या मैंने (तेरा सन्देश) पहुंचा दिया, क्या मैं ने पहुंचा दिया।

❑ एमानत की अदाएगी, कर्ज़ की वापसी और जायदाद की सुरक्षा

अगर किसी के पास एमानत हो तो उसे चाहिए कि एमानत को उसके मालिक को वापस कर दे। (अहकामुल कुरआन २/५०३)

❑ सूद के खातमे का एलान, मानवता पर महा उपकार

पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

जाहिलियत का सूद मआफ़ कर दिया गया है हम अपने सूद में सबसे पहले अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद मआफ़ करते हैं और इस पूरे को मआफ़ करते हैं। (सहीह मुस्लिम ४८)

❑ शांत जीवन और सह अस्तित्व का अधिकार

❑ स्वामित्व अस्मिता और पद की सुरक्षा

❑ मानवीय, प्राण की सुरक्षा और कानूनी समता का अधिकार

पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जाहिलियत का खून मआफ़ है और सबसे पहले मैं रबीआ बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब का खून मआफ करता हूं कि कबीला लैस में दूध पीते थे कि उन्हें कबीला बनू लैस ने क़त्ल कर दिया चुनान्चे जाहिलियत के खून में सबसे पहले इसी से शुरूआत करता हूं। (सहीह मुस्लिम १२८)

मानवीय समता की सुरक्षा, नसली गर्व और वर्ग विभाजन के खातमे का ऐतिहासिक एलान

आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ लोगो! अल्लाह तआला ने तुम से जाहिलियत का घमण्ड और परिवारिक घमण्ड को ख़तम कर दिया अब लोग केवल दो तरह के हैं। १. अल्लाह की नज़र में परहेज़गार व शरीफ २. दूसरा पापी अभागा, अल्लाह की नज़र में अपमानित व कमज़ोर, लोग सब के सब आदम की औलाद

हैं और आदम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह तआला ने फरमायाः ऐ लोगो! हमने तुम्हें नर और मादा के मिलाप से पैदा किया और हमने तुम्हें कुंबों और क़बीलों में बांट दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको कि (कौन किस कबीले और किस खानदान का है) बेशक अल्लाह की नज़र में तुम में सबसे ज़्यादा सम्माननीय वह व्यक्ति है जो अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाला है, बेशक अल्लाह तआला जानने वाला और ख़बर रखने वाला है। (सूरे हुजुरातः३१)

❑ औरतों से सदव्यवहार और उनके अधिकारों का क्रांतिकारी और व्यवहारिक फरमान

❑ विश्वव्यापी समता और भाई चारा का हक़

❑ शाश्वत जीवन शैली, सर्वागीर्ण व्यवस्था और शाश्वत वर्ल्ड आर्डर, अर्थात कुरआन व सुन्नत की पैरवी की सूरत में दीन व दुनिया दोनों संसारों में सफलता की शुभसूचना

❑ मानव अधिकार के इस महा चार्टर की सुरक्षा और उसके व्यवहारिक तौर पर लागू करने का साधारण एलान (जारी)

पृष्ठ २३ का

है कि अपनी सहायता राशि मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिन्द के बैंक खाते

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द, खाता संख्याः 629201058685, आईएफएस सी कोडः ICIC0006292, शाखाः चाँदनी चौक, दिल्ली में जमा करें।

प्रेस विज्ञप्ति में अमीर महोदय ने कहा कि इस तरह की आपदाएँ अल्लाह तआला की ओर से इंसानों के लिए एक चेतावनी और प्राकृतिक व्यवस्था का हिस्सा होती हैं। अक्सर इंसान जब भौतिक प्रगति के बल पर खुद को ईश्वरीय नियमों से ऊपर समझने लगता है और प्रकृति द्वारा निर्धारित सीमाओं को लांघने लगता है तो इस प्रकार की आपदाएँ आती हैं और असंख्य निर्दोष लोग भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। ऐसे समय में इंसान को अपने कर्मों का आत्म–मूल्यांकन करने और अपने पालनहार से संबंध मज़बूत करने की आवश्यकता होती है।

इस्लाहे समाज

खरीदारी फार्म

पत्रिका को घर पर मंगवाने के लिये अपने पते में निम्न विवरण ज़रूर लिखें।

नाम........................

पिता का नाम...............

स्थान........................

पोस्ट आफिस...............

वाया........................

तहसील......................

जिला........................

पिन कोड..................

राज्य का नाम..............

मोबाइन नम्बर.............

अपना मनी आर्डर इस पते पर भेजें।

आफिस का पताः**अहले हदीस मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली–6**

बैंक और एकाउन्ट का नामः

Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind

A/c No. 629201058685 (ICICI Bank) Chani Chowk, Delhi-6

RTGS/NEFT/IFSC CODE ICIC0006292

नोटः–बैंक द्वारा रक़म भेजने से पहले आफिस को सूचित करें।

हज़रत मुहम्मद स०अ०व० ने फरमाया

हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं कि मुझ से रसूल स०अ०व० ने फरमाया जिस शख्स का आखिरी कलाम "लाइलाहा इल्लल्लाह" हो वह जन्नत में जायेगा। (अबू दाऊद ३११६)

❑ अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहो अन्हुमा बयान करते हैं कि मैंने रसूल स०अ०व० को फरमाते हुए सुना कि जिस किसी मुसलमान के मरने पर चालीस ऐसे आदमी जनाज़े की नमाज़ पढ़ा दें जो अल्लाह के साथ शिर्क न करते हों तो अल्लाह तआला उनकी सिफारिश उसके हक़ में कुबूल करता है। (मुस्लिम-६४८)

❑ अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं कि रसूल स०अ०व० ने फरमाया जो शख्स किसी के जनाज़े में नमाज़ की अदायगी तक शामिल रहे तो उसे एक कीरात के बराबर सवाब मिलेगा। पूछा गया कि कीरात का क्या अर्थ है तो आप ने फरमायाः दो बड़े पहाड़ अर्थात नमाज़े जनाज़ा और तदफीन तक साथ रहने वाला दो बड़े पहाड़ों के बराबर सवाब लेकर वापस लौटेगा। (सहीहुल बुखारी १३२५, सहीह मुस्लिम ६४५)

❑ हज़रत अनस रज़ियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं कि आपने फरमाया क्यामत की निशानियों में से है कि इल्म उठा लिया जायेगा, जाहिलियत बढ़ जायेगी और शराब पिया जायेगा ज़िना (व्याभिचार) आम हो जायेगा। (बुखारी-मुस्लिम)

हज़रत आइशा रजिअल्लाहो तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल स०अ०व० ने महल्लों में मस्जिदें बनाने उन्हें पाक साफ और खुश्बूदार रखने का हुक्म दिया है। (अबू दाऊद)

❑ मुहम्मद स० ने फरमायाः जब तुम्हारा गुज़र जन्नत के बागों में से हो उसके फल खाओ। हज़रत अबू हुरैरा रजिअल्लाहो अन्हो ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल! जन्नत के बाग कौन से हैं? तो मुहम्मद स०अ०व० ने फरमाया कि मस्जिदें हैं।

❑ मुहम्मद स०अ०व० ने फरमायाः मोमिन की मौत के बाद उसके कर्म और अच्छे कामों से जिसका उसे सवाब मिलता है वह सात हैं। इल्म जो उसने दूसरों को सिखाया और फैलाया २. नेक लड़का ३. कुरआन मजीद, जिसका किसी को इल्मी वारिस बनाया। ४. मस्जिद जिसने बनवायी ५. घर जो मुसाफिरों के लिये बनवाया। ६. नहर ७. सदक़ा जो अपनी जिन्दगी में स्वस्थ होने की हालत में दिया। इन सात कामों का सवाब मौत के बाद भी इन्सान को मिलता रहता है।

नबी स०अ०व० ने फरमाया कि जब कब्र में सवाल होता है तो काफिर या मुनाफिक यह जवाब देता है हाय हाय मुझे मालूम नहीं मैंने लोगों को एक बात करते हुये सुना तो मैं भी इसी तरह कहता रहा इसके बाद उसे लोहे से मारा जाता है कि वह चीख उठता है उसकी चीख पुकार को इन्सान और जिन्नातों के अलावा हर चीज़ सुनती है अगर इन्सान इस आवाज़ को सुन ले तो बेहोश हो जायेगा।(बुखारी १३८०. १३३८)

Posted On 24-25 Every Month
Posted At LPC, Delhi
RMS Delhi-110006
"Registered with the Registrar
of Newspapers for India"

SEPTEMBER 2025
RNI - 53452/90
P.R.No.DL (DG-11)/8065/2023-25

ISLAH-E-SAMAJ

4116, Urdu Bazar, Jama Masjid, Delhi-110006

अहले हदीस मंज़िल की तामीर व तकमील के सिलसिले में

सम्माननीय अइम्मा, खुतबा, मस्जिदों के संरक्षकों और जमईआत के पदधारियों से पुरजोर अपील व अनुरोध

अहले हदीस मंज़िल में चौथी मंज़िल की ढलाई का काम हुआ चाहता है और अन्य तीनों मंज़िलों की सफाई की तकमील के लिये आप से अनुरोध है कि आने वाले जुमा में नियमित रूप से अपनी मस्जिदों में इसके सहयोग के लिये पुरज़ोर एलान फरमायें और नीचे दिये गये खाते में रकम भेज कर जन्नत में ऊंचा मक़ाम बनाएं और इस सद-क़-ए जारिया में शरीक हों।

सहयोग के तरीक़े (१) सीमेन्ट सरिया, रोड़ी, बदरपुर, रेत (२) नक़द रक़म (३) कारीगरों और मज़दूरों की मज़दूरी की अदायगी (४) खिड़की, दरवाज़ा, पेन्ट, रंग व रोगन का सामान या क़ीमत देकर सहयोग करें और माल व औलाद और नेक कार्यों में बर्कत पाएँ।

Paytm UPI

9899152690@ptaxis

A/c Name : Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind
A/c No. **629201058685** (ICIC Bank)
Chandni Chowk, Delhi-110006
(RTGS/NEFT/IFSC CODE ICIC0006292)
पताः-4116 उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद, दिल्ली-110006
Ph. 23273407, Fax : 23246613

अपील : सदस्यगण, मर्कज़ी जमीअत अलहे हदीस हिन्द

Total Pages 28